केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंग नाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली--110 067

CICOM/A/P/20/00086
CICOM/R/P/20/00328

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
13 OCT 2020
D. No......
Initials......

अपीलकर्ता का नाम : श्री बलजीत सिंह
पुत्र–श्री राम स्वरूप,
ग्राम एवं पोस्ट–ढांड, जिला–फतेहाबाद,
हरियाणा। पिन–125 050

1.	आरटीआई आवेदन की तिथि	29.07.2020
2.	सीपीआईओ के जवाब की तिथि	11.09.2020
3.	सीपीआईओ का विवरण	श्री ए0 के0 असीजा, सीपीआईओ–सह–डिप्टी रजिस्ट्रार।
4.	प्रथम अपील की तिथि	14.09.2020
5.	प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील प्राप्ति की तिथि	28.09.2020
6	निर्णय की तिथि	12.10.2020

1. **वाद का संक्षीप्त विवरण :**

अपीलकर्ता ने अपने प्रस्तुत आरटीआई आवेदन के माध्यम से आयोग द्वारा निस्तारित उनकी एक द्वितीय अपील संख्या CIC/CUVRH/A/2019/136044 के संबंध में सूचना की मांग कुल 4 बिंदुओं के अंतर्गत की थी, जिसके अंतर्गत उपरोक्त द्वितीय अपील वाद की विषय–वस्तु के संदर्भ में स्पष्टीकरण और संबंधित सूचना की मांग की गयी थी।

2. **केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी का जवाब :**

अपीलकर्ता के उक्त आवेदन के संदर्भ में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, श्री ए0 के0 असीजा, डिप्टी रजिस्ट्रार ने प्रार्थी को यह सूचित किया कि प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना, सूचना का अधिकार अधिकार अधिनियम की धारा 2(च) के प्रावधानों के अंतर्गत शामिल नहीं है।

3. **प्रथम अपील का आधार :**

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के उक्त जवाब से असंतुष्ट होकर प्रार्थी ने प्रथम अपील दाखिल किया है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी ने अपने प्रथम अपील में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गयी सूचना के विरूद्ध कोई शिकायत नहीं की है, बल्कि प्रार्थी उक्त द्वितीय अपील में आयोग द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध अपनी आपत्ति दर्ज कराई है।

4. **निर्णय :**

प्रथम अपील, आरटीआई आवेदन और केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित जवाब का अवलोकन करने के उपरांत यह स्पष्ट है कि केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ने प्रार्थी के आरटीआई

आवेदन के माध्यम से वांछित सूचना के संदर्भ में तथ्यात्मक सूचना प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(च) के प्रावधानों के अंतर्गत केवल वह सूचना, जो लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध और उसके द्वारा धारित अथवा उसके नियंत्रणाधीन है, प्रदान की जा सकती है। एक जन सूचना अधिकारी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह उस सूचना का निर्माण करे, जो रिकार्ड का हिस्सा नहीं है। उससे यह भी अपेक्षित नहीं है कि वह परिकल्पित प्रश्नों का जवाब दे अथवा सूचना की व्याख्या करे। इस प्रकार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गयी सूचना तथ्यात्मक और सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है। अतः प्रस्तुत मामले में प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. उपरोक्तानुसार प्रस्तुत अपील निस्तारित की जाती है।

6. यदि प्रार्थी उपरोक्त निर्णय से असंतुष्ट हैं, वे चाहें तो प्रस्तुत निर्णय के विरूद्ध के केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली–110 067 के समक्ष प्रस्तुत निर्णय की प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों के अंदर द्वितीय अपील दाखिल कर सकते हैं।

दिनांक – 12 अक्टूबर, 2020

मीनाशर्मा 12/10/2020

(मीना बलिमने शर्मा)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष : 26162290

प्रतिलिपि:- 15/10/20

1. श्री राम कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आरटीआई स्कंध, सीआईसी, नई दिल्ली।
2. श्री ए0 के0 असीजा, सीपीआईओ–सह–डिप्टी रजिस्ट्रार, सीआईसी, नई दिल्ली।

13/10/20